[illegible]

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज |
| --- | --- |
| | [illegible] |
| 15.05.2023 | पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 136/भू.अ0/23 दिनांक 02.05.2023 के द्वारा प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से वकील प्रार्थीगण ने प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थीगण के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकील प्रार्थीगण एकपक्षीय सुनी गई। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। |

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.20 10:33:11 IST
Reason: SelfAttested

15/05/23

( दिलीप सिंह )
उपखण्ड अधिकारी,श्रीमाधोपुर(सीकर)

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

### पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

| प्रकरण संख्या | जीसीएमएस | दायर दिनांक | निर्णय दिनांक |
| --- | --- | --- | --- |
| 01/2023 | 2023/13 | 04.01.2023 | 15.05.2023 |

**उनवान प्रकरण**

1. गीता देवी पत्नी मालीराम
2. गोपाल पुत्र मालीराम
3. गोपी पुत्र मालीराम
4. पिन्टू पुत्र मालीराम
5. बलराम पुत्र मालीराम
6. बहादुरमल पुत्र मालीराम
7. श्रवण पुत्र मालीराम
8. सीताराम पुत्र मालीराम

समस्त जाति मीणा निवासीगण सकराय पटवार हल्का चीपलाटा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

—प्रार्थीगण

बनाम्

भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

—अप्रार्थी

उपस्थित:–

श्री अनिल यादव0, एड0 प्रार्थीगण अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर अप्रार्थी की ओर से।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.20 10:33:11 IST
Reason: SelfAttested

**प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी**

15/05/23

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

# —:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक वाद खिलाफ अप्रार्थी के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 409, 410, 420, 430, 431 कुल किता–5 कुल रकबा 3.06 हैक्टर तन् ग्राम सकराय पटवार हल्का चीपलाटा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित है। जिसकी खातेदारी प्रार्थीगण के नाम से अंकित हैं। उक्त भूमि से अन्य का कोई सम्बन्ध नहीं है। उक्त दर्ज भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 के आदेश कमांक सीमाज्ञान 83 दिनांक 15.06.2021 की अनुपालना में पटवार हल्का चीपलाटा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 के द्वारा विधिवत रूपेण सीमाज्ञान दिनांक 21.06.2021 को करवाया जा चुका हैं। जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न हैं। प्रार्थीगण उक्त वर्णित भूमियों की विधिवत रूपेण पत्थरगढ़ी करवाना चाहते हैं। मौके पर कोई फसल काश्त की हुयी नहीं हैं। पड़ौसी खातेदारान प्रार्थीगण को अनायास ही हैरान–परेशान करते रहते है एवं सीमा चिन्हो को नष्ट कर खुर्द–बुर्द करने एवं प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा करने पर आमादा रहते है। जो कि काफी झगडालू किस्म के व्यक्ति है। उक्त लोग कहने–सुनने समझाने से मान नही रही है। इसलिये प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि की पत्थरगढी सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार करवाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। इस बाबत पुलिस इमदाद से पत्थरगढी करवाया जाना न्यायोचित है ताकि मौके पर शांति व्यवस्था कायम हो सकें। प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की खातेदारी की कृषि भूमि ख0न0 409, 410, 420, 430, 431 कुल किता 5 कुल रकबा 3.06 है0 तन् ग्राम सकराय पटवार हल्का चीपलाटा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 की पत्थरगढी फर्द मौका सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 21.06.2021 के अनुसार किये जाने के आदेश भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को जारी करने का निवेदन प्रार्थीगण द्वारा किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.20 10:33:11 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की नोटिस

17/05/23

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

तामील असालतन होने के बावजूद भी उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 136/भू.अ./23 दिनांक 02.05.2023 के द्वारा अवगत कराया है कि :– पटवारी हल्का चीपलाटा की रिपोर्ट अनुसार

राजस्व ग्राम सकराय पटवार मण्डल चीपलाटा की भूमि वर्तमान में खाली हैं। खेती नहीं की हैं। उक्त भूमि पर स्थगन नहीं हैं। सीमाज्ञान पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 21.06.21 को कीया गया हैं। प्रार्थी में किसी तरह का स्थगन एवं राजकीय बकाया नहीं हैं। मुताबिक पटवारी हल्का चीपलाटा की मौका एवं जांच रिपोर्ट के भूमि खसरा नम्बर 409, 410, 420, 430, 431 कुल किता 5 कुल रकबा 3.06 है0 का मौका देखा गया, मौके पर उक्त भूमि ख0न0 खाली हैं। किसी भी प्रकार का न्यायालय का स्थगन नहीं हैं। पूर्व से सीमाज्ञान पटवारी हल्का चीपलाटा द्वारा किया गया है। उक्त भूमि पर कोई राजकीय बकाया नहीं हैं। उपरोक्त खसरा नम्बरों का मौके पर सीमाज्ञान करवाया गया।

प्रकरण में भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से वकील प्रार्थीगण ने आज ही बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी का अन्तिम निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने वकील प्रार्थीगण की बहस एकपक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील प्रार्थीगण द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077, फर्द सीमाज्ञान रिपोर्ट, नजरी नक्शा व रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन किया गया।

हमने वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस ध्यानपूर्वक सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। [illegible] दस्तावेजी साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि ग्राम सकराय [illegible] तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 409, 410, 420, 430, 431 कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.20 10:33:11 IST
Reason: SelfAttested

13/05/23

किता–5 कुल रकबा 3.06 हैक्टर तन् ग्राम सकराय पटवार हल्का चीपलाटा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 की खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के नाम रिकार्डेड होना प्रकट होता है। जिसका सीमाज्ञान प्रार्थीगण के द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश से सम्बन्धित पटवारी हल्का चीपलाटा के द्वारा दिनांक 21.06.2021 के द्वारा किया जाना प्रकट होता है। प्रस्तुत प्रकरण में विवादित भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 21.06..2021 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश कमांक 83/एल.आर./2021 दिनांक 15.06.2021 की अनुपालना में विधिवत तरीके से पटवारी हल्का चीपलाटा के द्वारा किया जाना स्पष्टतः प्रकट होता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी में दर्ज भूमियों का सीमाज्ञान करवा लिये जाने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विधिवत रूप से करवाये गये सीमाज्ञान के अनुसार प्रकरण में पत्थरगढ़ी करवाया जाना न्यायहित में उचित प्रतित होता है।

## —:: क्रियात्मक आदेश ::—

**उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व** अधिनियम, **1956 को स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में पटवारी हल्का चिपलाटा द्वारा दिनांक 21.06.2021 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक कृषि भूमि खसरा** 409, 410, 420, 430, 431 कुल किता–5 कुल रकबा 3.06 हैक्टर तन् ग्राम सकराय पटवार हल्का चीपलाटा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 **की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किए जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता** है। पत्थरगढ़ी की फीस भू.अ. **निरीक्षक फीस 900/– रूपये एंव दो पटवारियान को 600/– रूपयें प्रति पटवारी की दर से 1200/–रूपये कुल 2100/–** रूपयें जरिये चालान राज्य कोष में जमा ली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.20 10:38:11 IST
Reason: SelfAttested

17/05/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

जावे तथा मूल चालान की प्रति पेश होने पर पटवारी हल्का चीपलाटा द्वारा दिनांक 21.06.2021 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक वर्तमान भौतिक मौका स्थिति में बिना परिवर्तन किये व सींव डोल को बिना हिलाये (प्रकरण में अंकित खसरा नम्बरान् पर किसी दीगर न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो ) पत्थरगढी की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

15/05/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 15.05.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/05/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.20 10:33:11 IST
Reason: SelfAttested